23/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्ष उपस्थित। वादी ज्ञानं बाई आदि तथा प्रार्थीगण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण वाद चलाना नहीं चाहते। वादी के अधिवक्ता पहचान सत्यापित गया। जिसके पश्चात एवं वादी के बयान अधिवक्ता ने पहचान किया। अतः वादी एवं अधिवक्ता वादी के अनुरोध पर वाद वादी नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

वादीगण वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

शेर सिंह

पहचानकर्ता

Naren..